

विवरण संख्या - 5

भारत सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की ओर से दी गई गारंटियाँ

भारत सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की ओर से गारंटियाँ दी गई हैं। संघ शासित क्षेत्र की सरकार को अपने समेकित निधि से गारंटियाँ देने का अधिकार नहीं है। तीसरे संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार संघ क्षेत्र के प्रशासन हेतु भारत सरकार को गारंटी देने का अधिकार प्रदान है। गारंटी की आह्वान अवस्था में प्रारम्भिक रूप से भारत की समेकित निधि पर प्रभारित होगा, तत्पश्चात् वह रकम संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से वसूल किया जायेगा। गारंटियाँ आकस्मिक दायित्व के किस्म की हैं। वर्ष के दौरान किसी भी गारंटी का आह्वान नहीं किया गया है।

STATEMENT No. 5

GUARANTEES GIVEN BY THE GOVERNMENT OF INDIA ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE UNION TERRITORY OF DELHI

Governments of Union Territories have no power to give guarantees on the security of their Consolidated Fund. Guarantees for the purpose of administration of Union Territories are given by Government of India under Article 292 of the Constitution of India. In the event of the guarantees being invoked, the payment will initially be a charge on the Consolidated Fund of India and the amount will subsequently be recovered from the Government of the Union Territory. The guarantees are in the nature of contingent liabilities. No guarantee was invoked during the year.

